

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एडी/प035/2016/ 768

दिनांक : 30/12/2016

—: आदेश :—

शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्रं. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पता	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1.	प्रतापगढ़	डा0 गौरव शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण प्रमाद शर्मा	18.04.93	Gen	पुरुष	मु.चि. एवं स्वा.अधि. प्रतापगढ़ के अधीन
2.	रतनगढ़ (चूरु)	डा0 राहुल कस्वा पुत्र श्री जीत सिंह कस्वा	20.08.81	OBC	पुरुष	मु.चि. एवं स्वा.अधि. रतनगढ़ (चूरु) के अधीन

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री आरएमसी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एडी/प035/2016/

दिनांक :/12/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
4. जिला कलक्टर, संबंधित।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सक की कार्यग्रहण की सूचना मय पदस्थापन स्थान के 03 दिवस में अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
9. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।